



संदर्भ सं0 3/Power/13960

15 जून 2020

आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,  
माननीय मुख्यमंत्री,  
उत्तर प्रदेश,

**विषय : उत्तर प्रदेश के उद्योगों को लॉकडाउन में बन्दी की अवधि के बिजली बिलों में फिक्स्ड चार्जेज की छूट के सम्बन्ध में तथा उसके उपरान्त बिजली की खपत के अनुपात में 1 वर्ष तक फिक्स्ड चार्ज लागू कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपको ज्ञात ही है कि कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत कम औद्योगिक इकाईयों के अतिरिक्त सभी औद्योगिक इकाईयों लगभग 2.5 माह तक बन्द रही है। आज यह इकाईयों अपना उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रयास कर रही है परन्तु माँग व सप्लाई चेन अभी भी बाधित है जिसके कारण यह इकाईयों औसतन 25 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर ही काम कर पा रही है। पूरी उत्पादन क्षमता तक पहुँचने में इन इकाईयों को कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा।

इस समस्या का आभास आपको बहुत पहले हो गया था जब 1 अप्रैल 2020 को आपने उ0प्र0 ऊर्जा विभाग को निर्देश जारी किये था कि “ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन की अवधि में इण्डस्ट्रीज से बिजली का फिक्स्ड चार्ज न लिया जाए”। आपके इस निर्णय का प्रदेश के सम्पूर्ण उद्यमियों ने स्वागत किया था।

आपको सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिल उद्योगों को जारी कर दिये हैं जिसमें सम्पूर्ण लॉकडाउन अवधि के फिक्स्ड चार्जेज की माँग की गई है। आज उद्योग खासतौर पर सुक्ष्म एवं लघु किसी प्रकार से बिजली के वास्तविक उपभोग का भुगतान करने के लिए तैयार है परन्तु अत्यन्त धनाभाव के कारण वे फिक्स्ड चार्जेज देने की स्थिति में नहीं हैं। आने वाले लगभग एक वर्ष तक भी वे पूरा फिक्स्ड चार्ज देने की स्थिति में नहीं आ पाएँगे यद्यपि विद्युत उपभोग के समानुपात फिक्स्ड चार्जेज किसी प्रकार दे पाएँगे।

**अतः यदि इन उद्योगों को अविलम्ब लॉकडाउन अवधि के फिक्स्ड चार्जेज से राहत नहीं दी गई तो अनेक उद्योग बिजली का बिल न दे पाने की स्थिति में रूग्ण एवं बन्द हो सकते हैं।**

उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2020 के आपके निर्देशों के विपरीत उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने अपने आदेशों में फिक्स्ड चार्जेज स्थगित ही किये थे न कि छूट दी थी। इस सम्बन्ध में आई0आई0ए0 द्वारा आपको अपने पत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020 द्वारा भी सूचित किया था और



# INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION

AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

( IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985 )

निवेदन किया था कि ऊर्जा विभाग को आपके निर्देशानुसार फिक्स्ड चार्ज से छूट देने के लिए आदेशित करने की कृपा करें। इसी प्रकार का निवेदन आई0आई0ए0 द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश तथा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से भी किया गया था। इन सभी पत्रों की प्रतिलिपियाँ आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

यह भी सूचनीय है कि अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज में लॉकडाउन अवधि के लिए 33 प्रतिशत की छूट दे दी गयी है। यह छूट उत्तराखण्ड ऊर्जा विभाग द्वारा उनको विद्युत उत्पादन इकाईयों द्वारा फिक्स्ड चार्ज में दी गई छूट के एवेज में उपभोक्ताओं को विस्तारित की गई है। हमे ज्ञात हुआ है कि विद्युत उत्पादन इकाईयों द्वारा उ०प्र० ऊर्जा विभाग को भी फिक्स्ड चार्ज में छूट दी गई है जिसे उ०प्र० के उपभोक्ताओं को विस्तारित करना उचित होगा।

आपके आवहान पर आई0आई0ए0 एवं उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमी प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन के लिए प्रयासरत हैं। इन उद्योगों को फिक्स्ड चार्ज से छूट की राहत से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अधिक रोजगार दे सकेंगे। इसलिए यह छूट अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के उद्देश्यों और राजस्व में भी सहायता करेगी।

अतः निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में बन्द पड़े उद्योगों को बिजली बिलों में इस अवधि के लिए फिक्स्ड चार्ज पर पूरी छूट देने की कृपा करें तथा आगे एक वर्ष तक बिजली की खपत के अनुपात में यथा बिल चक्र में अधिकतम डिमाण्ड पर ही फिक्स्ड चार्ज लिये जाये।

आशा है कि आप हमारे इस निवेदन को शीघ्र स्वीकार कर उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग को आदेशित करने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद

पंकज कुमार  
राष्ट्रीय अध्यक्ष